तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	27/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित। वास्ते आदेश दिनांक 1/12/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी / कार्यपालक मजिस्ट्रेट बांदीकुई (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई 1/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उप. आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पेश किया गया। जिसमे विवादित भूमि खातासं. 149 के खसरा नं. 11, 12, 13, 14, 15 कुल किता 05 कुल रकबा 2.94 हैक्टे. मे से नानगी ने हिस्सा 1/6 सम्पुर्ण व मांगी देवी ने हिस्सा 1/12 सम्पुर्ण तथा खाता सं. 112 के खं. नं. 10 रकबा 0.50 हैक्टे. मे से नानगी व मांगी देवी ने हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण वाके ग्राम नारायणपुरा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा को प्रतिवादीगण ताराचन्द रैगर पुत्र ग्यारसीलाल रैगर जाति रैगर निवासी रघुनाथ नगर दौसा जिला दौसा को जरिये रजि. विक्रय पत्र दि. 10/11/21 को बेचान कर दिया गया है। जो वर्तमान मे काबिज काश्त है। विवादित भूमि का माननीय अदालत उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई के समक्ष एक दावा जगदीश प्रसाद बनाम नानगी वगैरह मु. नं. 03/2021 पेश किया गया था। जिसमे बाद सुनवाई प्रतिवादी सं. 17 ताराचन्द रैगर को ऑर्डर 1 नियम 10 मे पक्षकार मानते हुये उक्त दावे मे दि. 2/9/22 को तकासुमा

2446

रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

मांगीदेवी बनाम ईश्वरलाल

किस्म मुकदमा .... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर नानगीदेवी व मांगीदेवी के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 ताराचन्द को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया। जिसकी वर्तमान मे माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर कैम्प बांदीकुई के समक्ष अपील विचाराधीन है। जिससे अब यह दावा चलने योग्य नही है तथा दावा आर्डर 07 नियम 11 की तारीफ मे आता है जिसे खारिज फरमाया जावे। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रा० पत्र है। अन्य उज्रात वर वक्त बहस और उज्र किये जावेंगे।	
	वादी द्वारा प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब निर्धारित अवधि मे पेश ना कर जवाब बन्द किया गया वादी द्वारा जवाब खोलने बाबत प्रा० पत्र पेश किया गया जो दिनांक 7/8/25 को खारिज किया जाकर पत्रावली आदेश 7 नियम 11 की बहस पर नियत की गई वादीअधिवक्ता का कथन है कि खाते खाता सं. नया 112 कु० 16 ग्राम नारायणपुरा मे वादीयागण मांगी खातेदार है तथा खाता सं. 149 मे भी खातेदार है। इसलिए प्रार्थीयागण को वाद लाने का अधिकार है।	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 का खारिज किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस का उत्तर देते हुये कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण से दिनाँक 10/11/12 को क्रय कर लिया है। इसलिए वादग्रस्त सम्पति प्रार्थीगण की भूमि है। जिसमे वादीगण को वाद लाने का अधिकार नही है। अतः प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं प्रा० पत्र के साथ पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया विक्रय पत्र दि० 10/11/12 की छाया प्रति का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मांगीदेवी एवं नानगी देवी द्वारा वादग्रस्त भूमि मे अपना हिस्सा प्रार्थी को बेचान कर दिया है। इसलिए वादी को वाद लाने का अधिकार नही है। प्रकरण आदेश 7 नियम 11 की परिधी मे आता है। प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाकर वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखील दफ्तर हो। 01.12.25 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) लेकड़ी	